रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925

No. 45] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

(आय-कर)

का.आ. 52(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(अ) नियम 2ङ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2ङ धारा 10 के खंड (23छ) के अधीन अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत-- (1) किसी उद्यम द्वारा केंद्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए कोई आवेदन 1 जून, 1998 को या उसके पश्चात् प्ररूप संख्या 56ङ में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होंगे, अर्थात् :—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति या उद्यम के गठन और उसकी विधिक प्रास्थिति संबंधी साक्ष्य के दस्तावेज की एक प्रति ;

(ख) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित पात्र कारबार से संबंधित परियोजना रिपोर्ट या करार की एक प्रति ;

(ग) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्षों के और उस पूर्ववर्ष के सुसंगत भाग के लिए भी, जिसमें आवेदन किया गया है, तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखें :

परंतु यह कि उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन के साथ तीन पूर्ववर्ष से कम के, जहां कोई उद्यम उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी समय विरचित किया गया है और उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, सुसंगत भाग के लिए भी तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखें लगाए जा सकते हैं ।

(3) केंद्रीय सरकार, धारा 10 के खंड (23छ) के प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम का अनुमोदन करेगी यदि ऐसा उद्यम पूर्णतया पात्र कारबार में लगा हुआ है ।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी उद्यम का अनुमोदन करने से पूर्व उद्यम से ऐसे दस्तावेज (जिसके अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखे भी हैं) या जानकारी मंगा सकेगा जो वह अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे कि ऐसा उद्यम पात्र कारबार में पूर्णतया लगा हुआ है और वह सरकार ऐसी जांच भी कर सकेगी जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे ।

(5) केंद्रीय सरकार उद्यम का अनुमोदन करते समय या अनुमोदन करने से इंकार करते समय लिखित में कोई आदेश पारित करेगी :

परंतु यह कि अनुमोदन से इंकार करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उद्यम को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(6) उपनियम (5) के अधीन अनुमोदित प्रत्येक उद्यम, लेखा बहियां बना कर रखेगा और ऐसी बहियों को, किसी लेखाकार द्वारा, धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित रूप में संपरीक्षित कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा ऐसी संपरीक्षित, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट उस आय-कर मुख्य आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के अधीन इसे निर्धारित किया जाता है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख से पूर्व देगा ।

(7) जहां कोई उद्यमी,—

(क) पात्र कारबार करना बंद कर देता है ;

(ख) उपनियम (6) की अपेक्षानुसार लेखाबहियों को बनाए रखने में और किसी लेखाकार द्वारा ऐसे लेखाओं को संपरीक्षित कराने में असफल रहता है ; या

(ग) उपनियम (6) की अपेक्षानुसार संपरीक्षित रिपोर्ट देने में असफल रहता है ;

वहां आय-कर मुख्य आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख से छह मास के भीतर केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा ।

(8) केंद्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (7) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट सभी या कोई परिस्थिति विद्यमान हैं तो वह उपधारा (5) के अधीन दिए गए अनुमोदन को वापस ले लेगी :

परंतु यह कि अनुमोदन को वापस लेने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उद्यम को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "उद्यम" पद से पात्र कारबार में पूर्णतया लगा हुआ कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ख) "पात्र कारबार" पद से धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई आवास परियोजना अभिप्रेत है और जो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं या धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (छ) और खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई होटल परियोजना या कोई अस्पताल परियोजना अभिप्रेत है ;"

(आ) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 के प्ररूप संख्या 56ङ में,—

(i) शीर्षक के प्रारंभिक भाग में "किसी अवसंरचना सुविधा के कारबार के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन" शब्दों के स्थान पर, "पात्र कारबार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्यांक 5 की प्रविष्टि में, "किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "पात्र कारबार के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण की मद संख्या (iii) में, "किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "पात्र कारबार के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 14/2004/फा. सं. 142/42/2003-टी.पी.एल.]

के. रवि किरण, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया, अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1335(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2003 द्वारा किया गया।